<u>प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम</u>

<u>(प्रशिक्षण केन्द्र)</u> OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> <u>(TRAINING CENTRE)</u>

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-3/2024-25/ No.Au/Trg/11-3/2024-25/ दिनांक: 22 मई 2024 Date: 22 May 2024

अनुभागीयआदेशसं./SECTIONAL ORDER NO. 72

अनुभागीय आदेश संख्या 60 दिनांक 14.05.2024 में आंशिक संशोधन में, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा I) कार्यालय से संबंधित श्रीमती शीबा ई, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/एएमजी III को 27.05.2024 से 01.06.2024 तक ऑनसाइट मोड के माध्यम से आरसीबीकेआई चेन्नई में आयोजित होने वाले मध्य-कैरियर प्रशिक्षण स्तर 3 कार्यक्रम के लिए श्रीमती लिजा वर्गीस, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/एएमजी III के स्थान पर नामित किया गया है।

In partial modification to Sectional Order No. 60 dated 14.05.2024, Smt. Sheba E, Senior Audit Officer/AMG III, Office of the PAG (Audit I) is nominated in place of Smt Lija Varghese, Senior Audit Officer/AMG III for Mid-career training Level 3 programme to be conducted at RCBKI Chennai from 27.05.2024 to 01.06.2024 through onsite mode.

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using her Official email IDs. The officials is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 21 मई 2024 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि/Copy to:

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ /प्रशा./रोकड़, हक (ले.प- I)/(ले.प- II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए